फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,

किशनगढ अजमेर (राज0)

कन्हैयालाल बनाम जगदीश

दीवानी वाद संख्या 31/19

सीआईएस संख्या 31/19

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
08.04.2026	श्री अभिषेक भार्गव, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी की ओर से उपस्थित। श्री पवन प्रकाश कुमावत, विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से उपस्थित। श्री भागीरथ लाल जाट, विद्वान राजकीय अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 5 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी का जवाब प्रस्तुत हुआ, जिसकी नकल अधिवक्ता प्रार्थी/वादी को दिलाई गई एवं बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16-07-2024 द्वारा जो तनकियात विरचित की गई थी, उसमें तनकी संख्या 04 यह है कि" आया विवादित इकरारनामा अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित व पंजीकृत नहीं होने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है।" इसके पश्चात वादी द्वारा इस विवादित इकरारनामा को पूर्ण रूप से स्टाम्पित करवा लिया गया है। हस्तगत प्रकरण संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना का है, जिसमें इकरारनामें का पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तनकी संख्या 04 को विलोपित किया जावे। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जो तनकियात विरचित की गई है, वह उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर ही तैयार की गई है। जवाब प्रस्तुत किए जाने के समय इकरारनामा पूर्ण रूप से स्टाम्पित नहीं था। वादी ने गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे। हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का	

अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा हस्तगत प्रकरण में विवादित इकरारनामा दिनांकित 30-05-2018 को उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन (कलेक्टर) मुद्रांक, अजमेर वृत-1, के कार्यालय से पूर्ण रूप से स्टाम्पित करवा लिया है, जो कि उक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 7556 दिनांकित 09-06-2025 को इस इकरारनामें के पूर्ण रूप से मुद्रांकित होने की रिपोर्ट के साथ इस न्यायालय को प्राप्त हो चुका है। जहां तक इस इकरारनामें का पंजीकृत नहीं होने का प्रश्न है, इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 02-12-2024 द्वारा यह अभिनिर्णीत किया जा चुका है कि अपंजीकृत होने के दोष के शेष रहते हुए धारा 49 पंजीयन अधिनियम के परन्तुक के अनुसार प्रश्नगत दस्तावेज को साक्ष्य में ग्राहय किया जा सकता है। इस आदेश को प्रतिवादी द्वारा किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर इस तनकी संख्या 04 का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। परिणामतः हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तनकी संख्या 04 को विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते है। कार्यालय लिपिक को यह आदेशित किया जाता है कि वह तनकी संख्या 04 के आगे लाल पेन की स्याही से विलोपित शब्द अंकित करें।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 04-05-2026 को पेश हो।

(संदीप आनन्द)

SUNIL SONI

Steno Gr. II "Authenticate Document" Digitally signed by SUNIL SONI Date: 2026.04.28 08:28:39 +0530